[2019] 3 एस.सी.आर. 1

राजू अंबादास गांगेकर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1961, 2009)

24 जनवरी 2019

[डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमन्त गुप्ता, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 - धारा 304, भाग 2 - हत्या - दोषमुक्ति को उलटना - अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार - झगड़े के कारण, मृतक और उसके सहयोगी का कथित तौर पर आरोपियों द्वारा पीछा किया गया था - अपीलकर्ता ने मृतक पर 'गुप्ती' से हमला किया - पीडब्लू -13, पुलिस कांस्टेबल इलाके में गश्त ड्यूटी पर था और उस पर आरोप था कि उसने अपीलकर्ता को मृतक पर गुप्ती से हमला करते देखा था - ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया - उच्च न्यायालय ने तीन आरोपियों को बरी करने की पुष्टि करते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। /एस.304 भाग II, आईपीसी- अपील पर: सबूतों के आधार पर, हमलावर के रूप में अपीलकर्ता की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं है - मरने से पहले दिए गए बयान में सच्चाई की झलक है - मृतक को विशेष रूप से कपड़े पहनाए गए थे हमलावर द्वारा पहने गए - पीडब्लू-13, जिसने घटना देखी, ने आरोपी/हमलावर द्वारा पहने गए परिधान की प्रकृति की पुष्टि की - घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ता से बरामद कपड़े, उस विवरण से मेल खाते थे - कपड़ों पर पाए गए दाग, मृतक के रक्त समूह से मेल खाते हैं - अपीलकर्ता की पहचान उचित संदेह से परे स्थापित की गई है - चोटों की प्रकृति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से नेत्र संबंधी साक्ष्य के अनुरूप है - अपीलीय अदालत के आदेश को पलटना उचित है बरी करना जहां बरी करने का आदेश विकृति से ग्रस्त है और इसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ है - उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस कारण प्रस्तुत किए हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था - ट्रायल कोर्ट पूरी तरह से अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ा जब उसने पाया कि इसकी संभावना नहीं है कि पीडब्लू-13 ने इस घटना को देखा है - ट्रायल कोर्ट गंभीर त्रुटि में पड़ गया, जिसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले द्वारा उचित रूप से ठीक किया गया था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 सामने आए सबूतों के आधार पर, हमलावर के रूप में अपीलकर्ता की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं है। मरते समय दिया गया बयान उदा. 21 में सत्य की एक अंगूठी है. मृतक ने विशेष रूप से उन कपड़ों के बारे में बताया जो हमलावर ने पहने थे। पीडब्लू-13, बीट कांस्टेबल जिसने घटना देखी थी, ने आरोपी/हमलावर द्वारा पहने गए परिधान की प्रकृति की पुष्टि की। घटना के कुछ घंटों के भीतर अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के समय उसके पास से जो कपड़े बरामद किए गए थे, वे उस विवरण से मेल खाते थे। इसमें एक तथ्य यह भी जुड़ गया कि कपड़ों पर जो दाग मिले थे, उनका ब्लड ग्रुप मृतक के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था. अपीलकर्ता की पहचान उचित संदेह से परे स्थापित की गई है। निस्संदेह, दो गवाह यानी पीडब्लू-3 और पीडब्लू-9 के साथ-साथ दो पंच गवाह मुकर गए थे। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा ड्यूटी पर तैनात बीट कांस्टेबल, PW13 के साक्ष्य की अवहेलना और खारिज करने का कोई उचित आधार नहीं है। जिस स्थान पर घटना घटी उस स्थान पर पीडब्लू-13 की उपस्थिति स्वाभाविक थी। उसकी जिरह के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उसके बयान पर संदेह हो कि उसे उस स्थान पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था जहां घटना हुई थी। इसी तरह, केवल यह तथ्य कि खोज के समर्थन में पंच गवाह मुकर गए थे, अभियोजन के मामले को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। चोटों की प्रकृति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से नेत्र संबंधी साक्ष्य के अनुरूप है। [पैरा 21,22][11-बी-एफ]

1.2 उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि घटना झगड़े से पहले हुई थी, इसलिए मामले पर धारा 302 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया और उसे पांच साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई। अपीलीय अदालत द्वारा दोषमुक्ति के आदेश को पलटना उचित है, जहां दोषमुक्ति का आदेश विकृति से ग्रस्त है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस कारण प्रस्तुत किए हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था। ट्रायल कोर्ट पूरी तरह से अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ी है जब उसने पाया कि यह संभावना नहीं है कि पीडब्लू-13 ने घटना देखी थी। साक्ष्य के महत्वपूर्ण हिस्सों को संदर्भित करने में विफल रहने पर, ट्रायल कोर्ट एक गंभीर त्रुटि में पड़ गया था जिसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले द्वारा उचित रूप से ठीक किया गया था। निचली अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत था और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। [पैरा 23,24][11-जी-एच; 12-ए-सी]

के गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **(1979) 1 एससीसी 365: [1979] 2 एससीआर 265;** *चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य* **(2007) 4 एससीसी 415: [2007] 2 एससीआर 630 - पर भरोसा किया गया।**

मुकियाह बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु द्वारा प्रतिनिधि **(2013) 2 एससीसी 89: [2013] 2 एससीआर 881;** *मुरुगेसन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक के माध्यम से* **(2012) 10 एससीसी 383: [2012] 13 एससीआर 1***; प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य* **(2013) 14 एससीसी 88: [2013] 10 एससीआर 51 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2013] 2 एससीआर 881	**पैरा 7**	**को संदर्भित करता है**
[1979] 2 एससीआर 265	**पैरा 11**	**पर निर्भर था**
[2007] 2 एससीआर 630	**पैरा 11**	**पर निर्भर था**
[2012] 13 एससीआर 1	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**
[2013] 10 एससीआर 51	**पैरा 11**	**को संदर्भित करता है**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 1961।

1989 की आपराधिक अपील संख्या 584 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की खंडपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 18.03.2006 से

अपीलकर्ता के वकील सुशील करंजकर, के.एन. राय।

निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंडारी, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का फैसला **डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 18 मार्च 2006 के एक फैसले से उत्पन्न हुई है। महाराष्ट्र राज्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर के 10 जुलाई 1989 के फैसले और आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट के समक्ष अपील की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता सहित सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया, जिन पर भारत दंड संहिता[1] की धारा 34 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37 और 135 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 और 325 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था।

2. उच्च न्यायालय ने तीन आरोपियों को बरी करने की पुष्टि करते हुए, जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसे दंड संहिता की धारा

304 भाग II के तहत अपराध का दोषी पाया। अपीलकर्ता को पांच साल के कठोर कारावास और 2,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

3. कैप्टन विनोद रावत (मृतक) भारतीय सेना में कैप्टन थे। 10 जुलाई 1988 को, वह और उनके सहयोगी लेफ्टिनेंट मेल्विन डेसूज़ा ने एमजी स्थित न्यू जगदंबा होटल का दौरा किया। रोड, अहमदनगर. होटल का प्रबंधन मूल आरोपी नंबर 4 द्वारा किया जाता था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि होटल में आरोपी और दो आगंतुकों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोप है कि आरोपियों ने दोनों ग्राहकों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया, जिस पर मृतक और उसका सहयोगी होटल से बाहर भाग गये. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उनका पीछा किया गया और उन पर हमला किया गया। पुलिस कांस्टेबल दिवाकर शिंदे (पीडब्लू-13) इलाके में गश्त ड्यूटी पर थे। उस पर आरोप है कि उसने अपीलकर्ता को मृतक पर गुप्ती से हमला करते देखा था। हमले से मृतक सड़क पर गिर गया. पीडब्लू-13 उसे एक रिक्शा में पुलिस स्टेशन, अहमदनगर ले गया जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया।

4. सिविल अस्पताल में, मृतक का बयान विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, विष्णु नारंग (प्रदर्श 21) द्वारा दर्ज किया गया था। आधी रात को बयान दर्ज किया गया. इस बयान के आधार पर, दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 326 और 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

5. अपीलकर्ता को 11 जुलाई 1988 को सुबह 2.10 बजे गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसकी गिरफ्तारी पर, अपीलकर्ता से खून से सने कपड़े, अर्थात् एक बनियान और एक लुंगी जब्त की गई थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि, अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, उसके पास से खून से सनी गुप्ती जब्त की गई थी। अपीलकर्ता से जब्त किए गए कपड़ों को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि बरामद कपड़ों पर रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है। 23 जुलाई 1988 को पीड़िता की मृत्यु हो गई जिसके बाद दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध की जांच आगे बढ़ी। मुकदमे के दौरान 14 गवाहों से पूछताछ की गई।

6. ट्रायल कोर्ट ने 10 जुलाई 1989 के अपने फैसले से आरोपी को बरी कर दिया। जहांतक अपीलकर्ता का सवाल है, फैसले को उच्च न्यायालय ने उलट दिया है।

7. अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील सुशील करंजकर ने कहा कि इस न्यायालय के कई फैसलों से निकले कानून के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, उनमें से **मुकिया**

बनाम राज्य, तमिलनाडु के पुलिस निरीक्षक[2] ("मूकिया") द्वारा दिया गया फैसला है, उच्च न्यायालय को बरी करने के फैसले को उलटना उचित नहीं था।

8. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने जांच में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए बरी करने के आदेश के लिए वैध कारण बताए। यदि ऐसा दृष्टिकोण संभव था, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन परिस्थितियों पर दबाव डाला गया उनमें निम्नलिखित हैं: -

(i) हालाँकि घटना 10 जुलाई 1988 की रात को हुई थी और पीड़िता की मृत्यु 23 जुलाई 1988 को हुई थी, लेकिन जांच अधिकारी द्वारा पहचान के उद्देश्य से आरोपी को पीड़िता के सामने पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया;

(ii) पीडब्लू-13 के साक्ष्य इंगित करते हैं कि अपीलकर्ता की पहचान स्थापित नहीं की गई है। पीडब्लू-13 ने अपने बयान के दौरान संकेत दिया कि उसने पीछे से आरोपी और पीड़ित का पीछा किया था और उसने वास्तव में हमलावर का चेहरा नहीं देखा था;

(iii) पीडब्लू-13 द्वारा हमलावर की पहचान की अनुपस्थिति में, जो ड्यूटी पर बीट कांस्टेबल था, टेस्ट पहचान परेड आयोजित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता महत्व रखती है;

(iv) दो स्वतंत्र गवाह, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-9 मुकर गए;

(v) पंच गवाह, जिन पर अभियोजन पक्ष ने जब्ती के समर्थन में भरोसा किया था, भी मुकर गए;

(vi) अभियोजन पक्ष द्वारा साथ आए बीट कांस्टेबल, राम देशमुख से पूछताछ नहीं की गई; और

(vii) पीड़ित के सहकर्मी लेफ्टिनेंट मेल्विन डेसूज़ा, जो घटना की रात उसके साथ थे, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई।

विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्चतम स्तर पर, खून से सने कपड़ों की बरामदगी एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह अपने आप में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसके द्वारा अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील श्री निशांत आर ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्य की सराहना स्पष्ट रूप से विकृत थी और उच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए बरी करने में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है। न्याय का गर्भपात नहीं है. विद्वान वकील ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां एक सेना के जवान को मौत की सजा दी गई थी। परिस्थितियों के बीच, विद्वान वकील ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

(i) ड्यूटी पर तैनात बीट कांस्टेबल का साक्ष्य (पीडब्लू-13);

(ii) मृत्युपूर्व घोषणा (उदा. 21); और

(iii) जांच अधिकारी के साक्ष्य (पीडब्लू-14)।

10. ये प्रस्तुतियाँ हमारे विचाराधीन हैं।

11. दोषमुक्ति के आदेश को पलटने में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में बताया जा सकता है। **के गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[3] में, अभियुक्त पर दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप लगाया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने के आदेश को उच्च न्यायालय ने पलट दिया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पुष्टि की कि उच्च न्यायालय, सतर्क रुख अपनाते हुए, अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की समीक्षा कर सकता है। यह माना गया कि अभियुक्त द्वारा दावा किया गया संदेह का लाभ भी उचित होना चाहिए। इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> “9. ...सांवत सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद, इस न्यायालय ने पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और शीओ स्वैम्प मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा उल्लिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने निष्कर्ष पर आने के लिए अपीलीय अदालत के अधिकार को लगातार मान्यता दी है। कभी-कभी दोषमुक्ति के आदेशों का वर्णन करने के लिए "स्पष्ट रूप से अवैध", "घोर अन्यायपूर्ण" जैसे वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। लेकिन, इस तरह की अभिव्यक्तियों का उपयोग भाषा के उत्कर्ष के रूप में अधिक किया गया है, ताकि संपूर्ण साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलीय अदालत की शक्ति को कम करने के बजाय बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने की अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर दिया जा सके। ...यदि साक्ष्य के दो उचित रूप से संभावित और समान रूप

से **संतुलित दृष्टिकोण संभव हैं, तो किसी को उचित संदेह के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन, काल्पनिक और दूरस्थ संभावनाओं को ध्यान से छोड़ दिया जाना चाहिए। किसी आरोपी व्यक्ति को विचारों के द्वंद्व की संभावना से उत्पन्न संदेह का लाभ पाने का अधिकार देने के लिए, आरोपी के पक्ष में संभावित दृष्टिकोण उतना ही उचित रूप से संभावित होना चाहिए जितना कि उसके खिलाफ। यदि संभाव्यता की प्रबलता पूरी तरह से एक तरफ है, तो दूसरे दृष्टिकोण की एक मात्र संभावना आरोपी को किसी भी संदेह के लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि आरोपी के पक्ष में साक्ष्य का कोई भी दृष्टिकोण उचित होना चाहिए, वैसे ही कोई भी संदेह, जिसके लाभ का आरोपी व्यक्ति दावा कर सकता है, उचित होना चाहिए।** (जोर दिया गया)

चंद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य ("चंद्रप्पा") में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को दंड संहिता की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143, 147, 148, 302 और 324 के तहत आरोपों से बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलट दिया और आरोपी को दोषी ठहराया। इस न्यायालय के समक्ष अपील में यह तर्क दिया गया था कि जब तक ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष अस्तित्वहीन, अप्रासंगिक, विकृत, दोषमुक्ति स्पष्ट रूप से गलत, पूरी तरह से गलत या पूरी तरह से गलत नहीं हैं, तब तक अपीलीय अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दोषमुक्ति के निष्कर्ष को पलटने में अपीलीय अदालत की शक्ति पर कानून की व्यापक समीक्षा की और निम्नलिखित शब्दों में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए:

"42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे विचार में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं:

(1) एक अपीलीय अदालत के पास उन सबूतों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है;

(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय अदालत तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों पर विचार कर सकती है;

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का

उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत। साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह की वाक्यांशविज्ञान "भाषा के उत्कर्ष" की प्रकृति में अधिक हैं;

(4) हालाँकि, अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता का अनुमान उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, अभियुक्त ने अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली है, उसकी बेगुनाही की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और अधिक मजबूत, पुन: पुष्टि और मजबूत किया गया है; और

(5) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए।

चंद्रप्पा (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा मुरुगेसन बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक5 और प्रेम सिंह बनाम हरियाणा राज्य6 के माध्यम से की गई है।

12. यह आकलन करने में कि क्या उच्च न्यायालय का बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करना उचित था, इस न्यायालय के लिए प्राथमिक रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है।

13. वर्तमान मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य पीडब्लू-13, दिवाकर शशिकांत शिंदे का है, जो बीट कांस्टेबल था और 10 जुलाई 1988 को अपने सहयोगी राम देशमुख के साथ ड्यूटी पर था। पीडब्लू-13 ने अपने बयान के दौरान कहा कि रात करीब 11.30 बजे वह उस स्थान के पास मौजूद था, जहां विवाद हुआ था। उन्होंने जगदंबा होटल के पास भीड़ जमा देखी और अपने सहयोगी को एक निश्चित स्थान पर इंतजार करने के लिए कहा। पीडब्लू-13 जगदंबा होटल की ओर बढ़ा जहां भीड़ जमा थी। उसने पीड़ित को भीड़ से बचकर घटनास्थल से भागते हुए देखा। पीडब्लू-13 ने गवाही दी कि उसने आरोपी को पीड़िता पर हमला करते देखा था। ऐसा देखा गया कि अपीलकर्ता ने पीड़िता का पीछा किया था। पीडब्लू-13 ने कहा कि अपीलकर्ता ने काले रंग का 'सैंडो बनियान' और लुंगी पहन रखी थी। अपीलकर्ता ने पीड़ित को न्यू वेस्ट इंडिया वॉच कंपनी के पास बुलाया जहां उसके शरीर के बाईं ओर चाकू जैसे हथियार से हमला

किया गया। इसके बाद अपीलकर्ता भाग गया। पीडब्लू-13 ने पीड़ित को शुरू में एक रिक्शा में सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचाया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया। पीडब्लू-3 ड्यूटी पर एक बीट कांस्टेबल था और घटना का चश्मदीद गवाह है।

14. पीडब्लू-13 की जिरह के दौरान प्राप्त बयान पर अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इस बात पर जोर दिया गया है कि वह अपीलकर्ता को पहले से नहीं जानता था और घटना से पहले उसे देखने का कोई अवसर नहीं था। पीडब्लू-13 ने कहा कि उसने अपीलकर्ता को पीड़ित के पीछे भागते देखा था, लेकिन उस समय उसका चेहरा नहीं देखा था। इस पहलू का आकलन करते समय, यह आवश्यक है कि न्यायालय साक्ष्यों की समग्रता को ध्यान में रखे।

15. रात लगभग 11.30 बजे हुई घटना के बाद, पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया और लगभग 12.30 बजे सिविल अस्पताल में उसका मृत्युपूर्व बयान (उद्. 21) दर्ज किया गया। अपने मृत्युपूर्व बयान में, पीड़ित ने कहा कि जब वह था जगदम्बा बीयर बार के प्रतिष्ठान के पास सड़क पर खड़े होकर एक व्यक्ति सड़क से उनकी ओर आया और उनकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। पीड़ित ने बताया कि उसके पेट पर चाकू से हमला किया गया है और हमलावर ने शरीर पर काले रंग का सैंडो बनियान और प्रिंटेड लुंगी पहन रखी है. हाईकोर्ट ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर विश्वास किया है। पीडब्लू-7, डॉ. रवींद्र सोनार ने अस्पताल में पीड़ित की जांच की और प्रमाणित किया कि वह बयान देने के लिए फिट स्थिति में है।

16. बयान दर्ज करने वाले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पीडब्लू-1, विष्णु नारंग के साक्ष्य का भी उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस स्टेशन के अनुरोध पर, मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने के लिए अस्पताल गए थे। इसी पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने खून से सने कपड़ों से हुई बरामदगी पर भरोसा जताया। खून से सने कपड़ों में काले रंग का सैंडो बनियान और लुंगी शामिल थी। अपीलकर्ता से वसूली तब की गई जब उसे घटना के कुछ घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट में पाया गया कि अपीलकर्ता के खून से सने कपड़ों पर रक्त समूह मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है।

17. इस पृष्ठभूमि में, जांच अधिकारी पीडब्लू-14, दत्तात्रय रामचन्द्र शेजल के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है। पीडब्लू-14 ने उन घटनाओं के क्रम के बारे में बताया जिसके कारण हेड कांस्टेबल और पीएसओ द्वारा उसे रिपोर्ट दी गई जब पीड़ित को घायल हालत में रिक्शा में पुलिस स्टेशन लाया गया था। PW14 ने बताया कि उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ तुरंत उस स्थान का दौरा किया जहां घटना हुई थी। इसके बाद उन्होंने लगभग 12.30

बजे अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और पंचनामा के तहत उसके पास से एक काले रंग का बनियान और खून के धब्बे वाला एक लुंगी कपड़ा कुर्क कर लिया। 11 जुलाई 1988 को, घटना के करीब, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल दिवाकर शिंदे का बयान दर्ज किया, जिन्होंने पीडब्लू-13 के रूप में मुकदमे में गवाही दी थी। दूसरे आरोपी को भी 11 जुलाई 1988 को लगभग 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता को इलाज और जांच के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया क्योंकि उसके पैर और टखने में चोटें थीं।

18. पीडब्लू-14 ने अपने साक्ष्य के दौरान बताया कि 10-11 जुलाई 1988 की रात के दौरान, कैप्टन रावत को सैन्य अधिकारियों द्वारा सैन्य अस्पताल अहमदनगर में हटा दिया गया था। अगले दिन, जब पीडब्लू-14 मिलिट्री अस्पताल गए, तो कैप्टन रावत बयान देने की स्थिति में नहीं थे। पीडब्लू-14 ने अपीलकर्ता के आदेश पर खून से सने कपड़े और गुप्ती दोनों को जब्त करने का बयान दिया है।

19. हालाँकि इस तथ्य पर कुछ जोर दिया गया था कि अभियोजन पक्ष ने लेफ्टिनेंट मेल्विन डेसूजा से पूछताछ नहीं की, जो घटना की रात मृतक के साथ थे, उच्च न्यायालय ने, जैसा कि हमने पाया, पाया कि इस गवाह को पहले पेश नहीं किया जा सका। चूँकि वह अपनी सैन्य सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण अनुपलब्ध था। हाई कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर अदालत में गवाह को नहीं दबाया और न ही यह सच सामने आने से रोकने का प्रयास था।

20. जहां तक साथ गए बीट कांस्टेबल की जांच न करने का संबंध है, हम ध्यान दे सकते हैं कि पीडब्लू-13 ने अपनी जांच के दौरान कहा था कि हंगामा सुनने पर, उसने साथ आए कांस्टेबल को एक निश्चित स्थान पर उसका इंतजार करने का निर्देश दिया था। बिंदु। इसके बाद, पीडब्लू-13 उस स्थान पर गया जहां घटना घटी थी।

21. सामने आए साक्ष्यों के आधार पर, हमलावर के रूप में अपीलकर्ता की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं है। मरते समय दिया गया बयान Exh. 21 में सत्य की एक अंगूठी है. मृतक ने विशेष रूप से उन कपड़ों के बारे में बताया जो हमलावर ने पहने थे। पीडब्लू-13, जिसने घटना देखी थी, ने आरोपी/हमलावर द्वारा पहने गए परिधान की प्रकृति की पुष्टि की। घटना के कुछ घंटों के भीतर अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के समय उसके पास से जो कपड़े बरामद किए गए थे, वे उस विवरण से मेल खाते थे। इसमें एक तथ्य यह भी जुड़ गया कि कपड़ों पर जो दाग मिले थे, उनका ब्लड ग्रुप मृतक के ब्लड ग्रुप से मेल खाता था. अपीलकर्ता की पहचान उचित संदेह से परे स्थापित की गई है।

22. निस्संदेह, दो गवाह यानी पीडब्लू-3 और पीडब्लू-9 के साथ-साथ दो पंच गवाह मुकर गए थे। हालाँकि, हमें ट्रायल कोर्ट के लिए कोई उचित आधार नहीं मिला कि उसने ड्यूटी पर मौजूद बीट कांस्टेबल पीडब्लू-13 के साक्ष्य की अवहेलना की और उसे खारिज कर दिया। जिस स्थान पर घटना घटी उस स्थान पर पीडब्लू-13 की उपस्थिति स्वाभाविक थी। उसकी जिरह के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे उसके बयान पर संदेह हो कि उसे उस स्थान पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया था जहां घटना हुई थी। इसी तरह, केवल यह तथ्य कि खोज के समर्थन में पंच गवाह मुकर गए थे, अभियोजन के मामले को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। हम पहले ही जांच अधिकारी, पीडब्लू-14 की गवाही की ओर रुख कर चुके हैं। चोटों की प्रकृति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से नेत्र संबंधी साक्ष्य के अनुरूप है।

23. रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि घटना झगड़े से पहले हुई थी, इसलिए मामले में धारा 302 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराया है और उसे पांच साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई है। अपीलकर्ता के मामले में सहायता करने के बजाय, मुकियाह (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले ने चंद्रप्पा (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों की पुष्टि की। अपीलीय अदालत द्वारा दोषमुक्ति के आदेश को पलटना उचित है, जहां दोषमुक्ति का आदेश विकृति से ग्रस्त है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है।

24. ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस कारण प्रस्तुत किए हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे स्थापित किया गया था। ट्रायल कोर्ट पूरी तरह से अनुमानों के आधार पर आगे बढ़ी है जब उसने पाया कि यह संभावना नहीं है कि पीडब्लू-13 ने घटना देखी थी। साक्ष्य के महत्वपूर्ण हिस्सों को संदर्भित करने में विफल रहने पर, ट्रायल कोर्ट एक गंभीर त्रुटि में पड़ गया था जिसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले द्वारा उचित रूप से ठीक किया गया था। निचली अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत था और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई।

25. उपरोक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाएगी।

26. चूंकि इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए हम आदेश देते हैं कि जमानत बांड रद्द कर दिए जाएंगे और अपीलकर्ता को सजा भुगतने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस निर्णय की एक प्रति संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

दिव्या पांडे अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।